



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 377]
No. 377]नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 16, 2002/श्रावण 25, 1924
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 16, 2002/SRAVANA 25, 1924

कोयला और खान मंत्रालय

(कोयला विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2002

सा.का.नि. 572(अ).—केन्द्रीय सरकार, खान और खानेज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. उक्त अनुसूची की मद 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“11. कोयला :

अ. पश्चिमी बंगाल राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में उत्पादित कोयला।

(i) समूह I कोयला :

- (क) कोककारी कोयला
 - इस्पात श्रेणी-I
 - इस्पात श्रेणी-II
 - वाशरी श्रेणी-I
- (ख) अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैण्ड में उत्पादित हाथ से उठाया गया कोयला

केवल दो सौ पचास रुपए प्रति टन

(ii) समूह II कोयला :

- (क) कोककारी कोयला वाशरी श्रेणी-II
- कोककारी कोयला वाशरी श्रेणी-III
- (ख) अर्द्धकोककारी कोयला श्रेणी-I
- अर्द्ध कोककारी कोयला श्रेणी-II
- (ग) गैर कोककारी कोयला श्रेणी-अ
- गैर कोककारी कोयला श्रेणी-आ
- (घ) अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैण्ड में उत्पादित चिना श्रेणी का खान से निकला हुआ कोयला

केवल एक सौ पैंसठ रुपए प्रति टन

(iii) समूह III कोयला :

- (क) कोककारी कोयला वाशरी श्रेणी-IV
(ख) कोककारी कोयला श्रेणी-इ

एक सौ पन्द्रह रुपए प्रति टन

(iv) समूह IV कोयला :

- (क) गैर कोककारी कोयला श्रेणी-ई
(ख) गैर कोककारी कोयला श्रेणी-उ

केवल पिच्चासी रुपए प्रति टन

(v) समूह V कोयला :

- (क) गैर कोककारी कोयला श्रेणी-ऊ
(ख) गैर कोककारी कोयला श्रेणी-ए

केवल पैंसठ रुपए प्रति टन

लिग्नाइट

केवल पचास रुपए प्रति टन

(vi) समूह VI कोयला :

आन्ध्र प्रदेश राज्य में उत्पादित कोयला

केवल नब्बे रुपए प्रति टन

आ. पश्चिमी बंगाल राज्य में उत्पादित कोयला

(i) समूह I कोयला :

- (क) कोककारी कोयला
इस्पात श्रेणी-I
इस्पात श्रेणी-II
वाशरी श्रेणी-I

केवल सात रुपए प्रति टन

(ii) समूह II कोयला :

- (क) कोककारी कोयला वाशरी श्रेणी-II
कोककारी कोयला वाशरी श्रेणी-III
(ख) अर्द्ध-कोककारी कोयला श्रेणी-I
अर्द्ध-कोककारी कोयला श्रेणी-II
(ग) गैर कोककारी कोयला श्रेणी-अ
गैर कोककारी कोयला श्रेणी-आ

केवल छः रुपए पचास पैसे प्रति टन

(iii) समूह III कोयला :

- (क) कोककारी कोयला वाशरी श्रेणी-IV
(ख) गैर कोककारी कोयला श्रेणी-इ

केवल पांच रुपए पचास पैसे प्रति टन

(iv) समूह IV कोयला :

- (क) कोककारी कोयला वाशरी श्रेणी-ई
(ख) गैर कोककारी कोयला श्रेणी-उ

केवल चार रुपए तीस पैसे प्रति टन

(v) समूह V कोयला :

- (क) गैर कोककारी कोयला वाशरी श्रेणी-ऊ
(ख) गैर कोककारी कोयला श्रेणी-ए

केवल दो रुपए पचास पैसे प्रति टन

स्पष्टीकरण

इस मद के प्रयोजन के लिए, कोयला की ऐसी प्रत्येक श्रेणी के लिए विनिर्देश वह होगा, जो कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2000 के खण्ड 3 के अधीन विहित है।"

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[सं. 28019/7/2000-सी.ए.]

ए. पी. वी. एन. शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL AND MINES

(Department of Coal)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th August, 2002

G.S.R. 572(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 9 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following further amendments in the Second Schedule to the said Act, namely :—

1. In the said Schedule, for item 11 and the entries relating thereto, the following items and entries shall be substituted, namely :—

“11. COAL :

A. Coal produced in all States and Union territories except the State of West Bengal.

(i) Group I Coals :

(a) Coking Coal

Steel Grade-I

Steel Grade-II

Washery Grade-II

(b) Hand picked coal produced in the

States of Arunachal Pradesh, Assam,

Meghalaya and Nagaland

Two hundred and fifty rupees only per tonne.

(ii) Group II Coals :

(a) Coking Coal Washery Grade-II

Coking Coal Washery Grade-III

(b) Semi-Coking Coal Grade-I

Semi-Coking Coal Grade-II

(c) Non-Coking Coal Grade A

Non-Coking Coal Grade B

(d) Ungraded Run of Mine Coal produced in the

State of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya
and Nagaland

One hundred and sixty five rupees only per tonne

(iii) Group III Coals :

(a) Coking Coal Washery Grade-IV

(b) Non-Coking Coal Grade C

One hundred and fifteen rupees only per tonne

(iv) Group IV Coals :

(a) Non-Coking Coal Grade D

(b) Non-Coking Coal Grade E

Eighty five rupees only per tonne

(v) Group V Coals :

(a) Non-Coking Coal Grade F

(b) Non-Coking Coal Grade G

Sixty five rupees only per tonne

Lignite

Fifty rupees only per tonne

(vi) Group VI Coals :

Coal produced in the State of Andhra Pradesh

Ninety rupees only per tonne

B. Coal produced in the State of West Bengal

Coal Group

(i) Group I Coals :

(a) Coking Coal

Steel Grade-I

Steel Grade-II

Washery Grade-I

Seven rupees only per tonne

(ii) Group II Coals :

- (a) Coking Coal Washery Grade-II
- Coking Coal Washery Grade-III

- (b) Semi-Coking Coal Grade-I
- Semi-Coking Coal Grade-II

- (c) Non-Coking Coal Grade A
- Non-Coking Coal Grade B

Six rupees and fifty paise only per tonne

(iii) Group III Coals :

- (a) Coking Coal Washery Grade-IV

- (b) Non-Coking Coal Grade C

Five rupees and fifty paise only per tonne

(iv) Group IV Coals :

- (a) Non-Coking Coal Grade D

- (b) Non-Coking Coal Grade E

Four rupees and thirty paise only per tonne

(v) Group V Coals :

- (a) Non-Coking Coal Grade F

- (b) Non-Coking Coal Grade G

Two rupees and fifty paise only per tonne

Explanation

For the purpose of this item, the specification of each grade of the coal shall be as prescribed under clause 3 of the Colliery Control Order, 2000".

2. This Notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[No. 28019/7/2000-CA]

A. P. V. N. SARMA, Jt. Secy.